

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

कमॉक / /अति.जि.दण्डा./2020/599

दुर्ग, दिनांक 23 सितम्बर, 2020

कार्यालयीन आदेश कमॉक 593/अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के माध्यम से सम्पूर्ण दुर्ग जिले को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के साथ यह भी आदेशित किया जाता है कि प्रतिबंधित अवधि में -

1. मॉर्निंग वॉक एवं इवनिंग वॉक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
2. सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वह अनावश्यक बाहर न निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।
3. किसी भी प्रकार का कोरोना लक्षण (सर्दी बुखार, थकान, सुखी खोंसी, सॉस लेने में तकलीफ, गले में खराश) आने पर दुर्ग जिले में संचालित निम्नलिखित नजदीकी फीवर क्लिनिक में जाकर तत्काल कोरोना टेस्ट करायें :-

धमघा क्षेत्र	पाटन क्षेत्र
1.सामु.स्वा.केन्द्र, धमघा	1.सामु.स्वा.केन्द्र, पाटन
2.सामु.स्वा.केन्द्र, अहिवारा	2.सामु.स्वा.केन्द्र, झीट
3.सामु.स्वा.केन्द्र, बोरी	3.प्रा.स्वा.केन्द्र, बटरेल
4.सामु.स्वा.केन्द्र, कुम्हारी	4.प्रा.स्वा.केन्द्र, भिलाई-3
5.प्रा.स्वा.केन्द्र, दारगाँव	5.प्रा.स्वा.केन्द्र, गाड़ाडीह
6.प्रा.स्वा.केन्द्र, पेंडावन	6.प्रा.स्वा.केन्द्र, पुरैना
7.प्रा.स्वा.केन्द्र, मुरमुंदा	7.प्रा.स्वा.केन्द्र, रानीतराई
8.प्रा.स्वा.केन्द्र, सुरडुम	दुर्ग शहरी क्षेत्र
9.प्रा.स्वा.केन्द्र, मेड़ेसरा	
दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र	1.यू.पी.एच.सी.धमघा नाका
	2.यू.पी.एच.सी. पोटियाकला
	3.यू.पी.एच.सी. बघेरा
	4.यू.पी.एच.सी. चरोदा
	दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र
	1.सामु.स्वा.केन्द्र, निकुम
	2.सामु.स्वा.केन्द्र, उतई
	3.प्रा.स्वा.केन्द्र, हनौद
	4.प्रा.स्वा.केन्द्र, जेवरा
	भिलाई क्षेत्र
	1.यू.पी.एच.सी. छावनी
	2.यू.पी.एच.सी. टंकीमरोदा
	3.यू.पी.एच.सी. बैकुंठधाम
	4.यू.पी.एच.सी. खुर्सीपार
5.यू.पी.एच.सी. कोसानाला	
9.प्रा.स्वा.केन्द्र, रसमड़ा	



4. जिले में आपातकालिक सेवायें 24 घंटे संचालित रहेंगी। किसी भी प्रकार की आपातकालिक स्थिति में हेल्पलाइन कमॉक 0788-2210773, 2210774, 2210775 अथवा 2210778 में सम्पर्क कर सकते हैं।

(डॉ० सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
23/09/2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग